प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :– जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में क्वीसू–सूमाडी मोटर मार्ग का धरीगांव होते हुए अमधार तक विस्तार।

(i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र :– उत्तराखण्ड़।

(ii) जिला :– पौड़ी गढ़वाल।

(iii) जिला वन प्रभाग :– सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की ज़ाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :– 0.664 है0

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति :– सिविल सोयम वन भूमि।

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा :– प्रारूप .....पर संलग्न है।

(i) वन का प्रकार :– प्रारूप .....पर संलग्न है।

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व :– 0.30 है0

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :– प्रारूप .....पर संलग्न है।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नक्सा :– प्रारूप .....पर संलग्न है।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी :– प्रमाण पत्र ..... पर संलग्न है।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :– 02 कि0मी0।

21. वन्य जीव की दृश्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :– शून्य

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :– शून्य।

(ii) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं।

(iii) क्या किसी राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं।

(iv) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं।

(v) क्या क्षेत्र मे वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे :– नहीं।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :– नहीं।

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :– प्रमाण पत्र ..... पर संलग्न है।

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। :– हॉ

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। :– लागू नहीं

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्षक सिद्धातों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) :– **नहीं**

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही :– **लागू नहीं।**

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) :– **नहीं**

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। :– **प्रारूप** .... **पर संलग्न है।**

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। :– **प्रारूप** .... **पर संलग्न है।**

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शि ति करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। :– **प्रारूप** .... **पर संलग्न है।**

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)। :– **हॉ**

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :– **रू0 130792.00**

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृश्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)। :– **हॉ।**

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश मे लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। :– **हॉ।**

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिदिष्ट सिफारिशों

जनहित में प्रस्ताव की संस्तुति की।

स्थान: पौड़ी

तारीख: 03/06/2015

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

प्रारूप – 50

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढ़वाल में विधासनसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत क्वीसू–सुमाडी मोटर मार्ग का धरिगांव होते हुये अमधार तक विस्तार।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 8–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1 :– ईको–क्लास श्रेणी - V

2 :– हरियाली का घनत्व :– 0.3

3 :– एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रू0 657000.00.

4 :– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.664 है0

5 :– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 436248.00.

ह0/–

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एंव सोयम
वन प्रभाग पौड़ी